LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक-06-01-2025

थाना पूराकलाँ पुलिस व एसओजी/सर्विलास ललितपुर की संयुक्त टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या के वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार।

थाना पूराकलाँ पुलिस व एसओजी/सर्विलास ललितपुर की संयुक्त टीम की, हत्या के अभियोग में वाछिंत अभियुक्त से हुयी मुठभेड़ ,गोली लगने से अभियुक्त घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जें से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा/खोखा कारतूस बरामद।

थाना पूराकलाँ पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में मुख्य आरोपी सहित कुल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी तालबेहट श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना पूराकला/ एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/103(2)/3(5) BNS में वांछित अभियुक्त- 1. नन्हे राजा पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर को पुलिस मुठभेड के दौरान 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में मुख्य आरोपी सहित कुल 03 नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त बलवीर पुत्र जगभान उम्र करीब 26 वर्ष व हेजवेन्द्र उर्फ ठुल्ले उम्र करीब 20 वर्ष के बीच शराब के नशे में, रास्तें में जाते समय गाली गलौज व झगड़ा हुआ था। यह बात वलवीर ने अपने घर जाकर बतायी और अन्य परिवारीजन को ले आया और हेजवेन्द्र के साथ वाद विवाद व मारपीट करने लगे। इसी बीच मृतक अमर सिंह पुत्र जुगराज उम्र करीब 55 वर्ष (ठुल्ले के चाचा) बीच-बचाव करने आये थे और अन्य परिवारीजन भी आ गये उसी दौरान तमंचे से फायरिग की गयी जिसमें अमर सिंह उपरोक्त को गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी।

सूचना पर थाना पूराकला पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है एवं मृतक के शव को कब्जे पुलिस लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया हैं। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर साक्ष्य संकलित की कार्यवाही की गयी हैं। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना पुत्र केहर सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर, वादी के चाचा अमर सिंह उपरोक्त की गोली मारकर हत्या कर देना एवं वादी के भाई के साथ मारपीट करना व गोली मारकर भाग जाना तथा गाली-गलौज करते हुये, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पूराकला में मु0अ0सं0 03/20025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/103(2)/3(5) BNS बनाम वलवीर पुत्र जगभान ठाकुर उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर आदि 08 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 05 पुलिस टीमों जिसमें एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, पूराकला पुलिस, थाना तालबेहट पुलिस व अन्य चौकी क्षेत्र के इन्चार्जो को लगाया गया था। गठित टीमो द्वारा मुख्य आरोपी सहित दो अभियुक्तों 1.वलवीर पुत्र जगभान उम्र करीब 26 वर्ष 2 .बलवन्त पुत्र रामराजा उम्र करीब

50 वर्ष निवासीगण ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त नन्हे राजा पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> अभियुक्त वलवीर व बलवन्त उपरोक्त से पूँछताछ करने पर बताया कि साहब कल दिनांक 05.01.2025 को दोपहर में मेरा शराब के नशे मे विपक्षी ठुल्ले उर्फ हजवेन्द्र से झगडा हो गया था। हजवेन्द्र ने मुझे गालियां दी थी यह बात मैने अपने घर आकर सब लोगो को बतायी तब हम सब लोग मिलकर एक राय होकर लाठी, कुल्हाडी, बन्दूक, कट्टा आदि लेकर रामसिंह के घर के पास पहुँचे तो वहाँ पर ठुल्ले उर्फ हजवेन्द्र मिला जिसको हम सभी लोग मिलकर, सबक सिखाने के लिए गाली-गलौज करते हुये मारने लगे वही पर खडे राजपाल सिहं पुत्र केहर सिंह, अमर सिंह पुत्र जुगराज व धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना पुत्र केहर सिंह ने उसको बचाने का प्रयास किया व हम लोगो को रोका तब हम लोगो ने मिलकर उत्तेजित होकर उनके साथ भी मारपीट कर दी तथा हम लोगों ने तमन्चे से जान से मारने की नियत से फायर किये जिसमे अमर सिंह गोली लग गयी जो तुरन्त नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। वाद-विवाद सुनकर आसपास गाँव के भी कुछ लोग आ गये थे। हम लोग इनको जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से अलग-अलग भाग गये थे। साहब हम लोगों को आप के द्वारा पकड लिया गया है ।

<u>पुलिस मुठभेड का विवरण-</u> घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया था दिनांक 06.01.2025 की रात्रि को थाना पूराकलां पुलिस /सर्विलांस /एसओजी की सयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना पूराकला क्षेत्रान्तर्गत पतारा तिराहे के पास बने राजा के बन्द पड़े ढावा पर अभियुक्त नन्हे राजा की बैठे होने होने की सूचना प्राप्त हुयी थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमो द्वारा मौके पर पहुँचते ही, टार्च की रोशनी देखकर एक व्यक्ति ढाबां से बाहर निकलकर आया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रूकने को कहा गया तथा बार-बार चेतावनी के वाबजूद नही रूका और पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त नन्हे राजा पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर के बाये पैर के घुटने के पास गोली लगी। गोली लगने से घायल/गिरफ्तार कर अभियुक्त को पुलिस सुरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से, मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर भी बरामद किया गया है।

अभियुक्त नन्हे राजा उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया गया कि साहब कल हम लोगों का वाद-विवाद हो गया था वाद विवाद के दौरान हम लोगों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी थी जिससे अमर सिहं को गोली लग गयी था जिनकी मृत्यु हो गयी थी और हम सब लोग पुलिस के डर की वजह से मौके से अलग अलग भाग गये थे और मैं सूनसान जगह पर बने राजा के बन्द ढाबां पर छिपा बैठा था। साहब मुझे ढाबे के बाहर टोर्च की रोशनी व कुछ लोग आते दिखायी दिये आप लोगो द्वारा मुझे रोका गया मैने पकडे जाने की डर की वजह से आप लोगो पर फायर कर दिया था। आप लोगो द्वारा मुझे जवाबी फायरिंग में पकड लिया गया है। साहब मुझसे गलती हो गयी माफ कर दो।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. वलवीर पुत्र जगभान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर।
2. बलवन्त पुत्र रामराजा उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर।
3. नन्हे राजा पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बलरगुवाँ थाना पूराकला जनपद ललितपुर।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

<u>अभियुक्त नन्हे राजा-</u>

1. मु0अ0सं0 04/2025 धारा 109 BNS 3/25 आर्म्स एक्ट।
2. मु0अ0सं0 03/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/103(2)/3(5) BNS

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. अभि0 नन्हे राजा अभियुक्त से बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस, दो खोखा कारतूस तथा जामा तलाशी से एक अदद स्क्रीन टच मोबाइल, 280 रुपये।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक-</u> दिनांक 06.01.2025

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष पूराकला श्री अरुण कुमार तिवारी मय टीम
2. श्री आलोक सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
3. श्री अतुल तिवारी प्रभारी स्वाट मय टीम।